श्री धनश्याम ठाकुर (मनोनित), माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1/208/43 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सड़क का फीजिबिलिटी प्रतिवेदन अधिग्रहण 2023–24, जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मधुबनी ने दिनांक 26/04/2024 के द्वारा अपना प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजा है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न का भाग (क) पथ निर्माण विभाग से संबंधित है।</td></tr>
<tr><td>(ख) क्या यह सही है कि कानपुर (सकरी NH 57) से जगतपुर (सौराठ 527 ए) बाईपास पाठ भैया मकरामपुर, भागीरथपुर, सप्ता से आगे भारतमाला रोड तक शहर के जाम की निराकरण हेतु नवनिर्माण कार्य करना अति आवश्यक है;</td><td rowspan="2">प्रश्न में उल्लेखित कानपुर (सकरी NH 57) नहीं बल्कि कनकपुर (सकरी NH 27) है। कनकपुर (सकरी NH 27) से जगतपुर (सौराठ 527 ए) पथ बाईपास भाया मकरामपुर, भागीरथपुर, सप्ता से आगे भारतमाला रोड तक जाने वाली पथ वस्तुतः पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी अंतर्गत सकरी शाखा नहर का सेवा पथ है। सकरी शाखा नहर पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के कि0मी0 46.625 (बायाँ) ग्राम–दतुआर से निःसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 44.33 कि0मी0 है। वर्त्तमान में सकरी शाखा नहर के 36.28 कि0मी0 से 44.33 कि0मी0 तक सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य प्रगति में है। प्रश्नगत भाग सकरी शाखा नहर का 16.52 कि0मी0 (भारतमाला रोड) से 36.28 कि0मी0 (कनकपुर) है।

पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य से संबंधित डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य प्रगतिधीन है, जिसके अंतर्गत सकरी शाखा नहर के शेष सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य को भी शामिल करने का विचार है।

इसके अतिरिक्त अगर पथ निर्माण करने वाले विभाग द्वारा पथ निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रोड/सड़क के निर्माण कार्य शीघ्र करने पर विचार करती है, यदि हाँ तो कब तक ?</td></tr>
</table>

Vidhan Sabha (N)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(मु0)-)6–42 / 2024– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को तारांकित प्रश्न सं0–1 / 208 / 43 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(मु0)-06–42 / 2024– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(मु0)-06–42 / 2024– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(मु0)–06–42 / 2024– 117 / पटना, दिनांक– 10/01/25

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.1.25
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo